न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 53 / 2021
निर्णय दिनांक: [illegible]

CNo: 2021/77

1. किसनाराम
2. तेजाराम
3. रामूराम

पुत्रगण स्व. कोडूराम जाति जाट निवासीगण रीड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

बनाम

1. शेरादेवी पत्नी स्व. कोडूराम
2. पूरखाराम
3. भगवानाराम

पुत्रगण स्व.कोडूराम — जाति जाट निवासीगण रीड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़

उपस्थिति:—

1. श्री ओमप्रकाश पंवार अभिभाषक प्रार्थी
2. अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.</u>

यह प्रार्थना पत्र किशनाराम ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की ओर से उपयुक्त अनुवानी दावा न्यायालय श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है। प्रार्थीगण के पैतृक खातेदारी व कब्जे काश्त उपयोग उपभोग को खेत खसरा न. 1038 तादादी 4.23 हैक्टेयर जिसके पुराने खसरा न.748 वाकेरोही उदरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। उक्त वादगत खेत की खातेदारी वर्तमान मे प्रार्थीगण की माता शेरा के नाम चली आ रही है, उससे पहले प्रार्थीगण के नाना अन्नारामजी के नाम थी, उनकी मृत्यु के बाद विरासतन प्रार्थीगण की माता शेरा के नाम दर्ज हुई, जो वर्तमान में चली आ रही हे, शेरा की उम्र 88 वर्ष हो चुकी है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं 1 ता 3 आपमें पुत्र माता व भाई भाई है, जो एक ही माता पिता की सन्तान है व अन्नाराम के वारिसान है। वादगत खसरा भूमि पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं 2 ता 3 का संयुक्त कब्जा, काश्त व उपयोग उपभोग पूर्व से चला आ रहा हे। प्रार्थना पत्र को समझने हेतु वंशावली निम्न प्रकार से है:—

स्व. अन्नाराम
शेरा (पुत्री)
(अप्रार्थीसं. 1) पत्नी स्व. कोडूराम

किशनराम	तेजाराम	रामूराम	पुरखाराम	भगवानाराम	तीजा	चुन्नी	धापू	केशर
(पुत्र)	(पुत्र)	(पुत्र)	(पुत्र)	(पुत्र)	(पुत्री)	(पुत्री)	(पुत्री)	(पुत्री)

यह है कि वादगत भूमि पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं 2 व 3 का संयुक्त कब्जा काश्त उपयोग रहा है। अप्रार्थी सं 1 शेरा जो प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं 2ता 3 की माताजी है, अप्रार्थी सं 1 की उम्र 88 वर्ष हो चुकी है ओर बीमार रहती है, सोचने समझने की शक्ति भी नहीं रही है, प्रायः बेड पर रहती है, उसने आज से 30 वर्ष पूर्व ही प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं 2 व 3 को काश्त हेतु उक्त भूमि बंटवारा कर दे दी थी। प्रार्थीगण की बहिनों ने भी अपना हिस्सा मौखिक रूप से परि[illegible]कर अपना हक अपने भाइयो को बराबर बराबर दे दिया था। प्रार्थीगण [illegible] अपने हिस्सा को काश्त करते है, प्रार्थीगण ने अथक प्रयास कर उक्त [illegible] बनाया है तथा निर्वाद रूप से उक्त भूमि का उपयोग उपभोग सन् 1990 से कर अपने व अपने परिवार [illegible] जीवनयापन करते है, प्रार्थीगण कृषि पैशा व्यक्ति है। यह है कि अप्रार्थी सं 1 अपनी पुत्रियां की शादी कर उनका हक हिस्सा पूर्व में ही चल सम्पति के रूप मे दे दिया है और प्रार्थीगण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:11:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

[illegible] भी अपने भाईयों के पक्ष में मौखिक रूप से [illegible]
[illegible] अप्रार्थी सं 2 ता 3 को वादगत खेत में से [illegible] चुकी है। [illegible] वादगत खेत
[illegible] व अप्रार्थी काश्त उपयोग उपभोग नहीं रहा है, वे अपने [illegible] में निवास
[illegible] कोई कब्जा [illegible] अप्रार्थी सं 1 शेरा की पुत्र होने के नाते वादगत खसरा की भूमि में
[illegible] है। प्रार्थीगण 1/6 हिस्सा बहैसियत खातेदार शामिल बनता है तथा प्रार्थीगण की माता
[illegible] प्रार्थीगण को सन् 1990 में उनके हक हिस्से की भूमि का मौखिक बंटवारा कर
प्रार्थीगण को वादगत खेत सम्भला दिया। प्रार्थीगण 30 वर्ष से वादगत खेत की भूमि पर
काश्त करते चले आ रहे है, उक्त भूमि पर सन् 1990 के बाद प्रार्थीगण का कब्जा काश्त
आज तक शांतिपूर्वक चला आ रहा है। अप्रार्थी सं 1 की वर्तमान उम्र करीब 88 साल
है जो कि स्वतंत्र रूप से सोच समझ नहीं सकती, ना ही भला -बुरा समझ पाती है।
[illegible] का अप्रार्थी सं 2 ता 3 नाजायज फायदा उठाकर वादगत भूमि की समस्त खातेदारी भूमि बेचने पर आमादा है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से निवेदन किया कि अपने अपने हिस्से कब्जा काश्त की भूमि जो भाई बंटवारा के आधार पर मिली हुईहै, सहमति से अप्रार्थी सं 1 के जीवित रहते लिखा पढी कर अपने अपने नाम खातेदारी दर्ज करवा ले और अप्रार्थी सं 1 के नाम खातेदारी भूमि को बेचे नहीं, हमारी माता नेअपने हक हिस्से की भूमि को मौखिक विभाजन हमारे बीच कर हमारे हिस्से वादगत खेत का कब्जा काश्त प्रार्थीगण को सम्भला दिया था, तब अप्रार्थीगण ने टाल मटोल कर दिया। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 25.02.2021 को अप्रार्थीगण से इस बावत पुनः निवेदन किया तो अप्रार्थीगण ने धमकी दी और कहा कि हम किसी मोखिक बंटवारे को नहीं मानते, हम मौका मिलते ही जल्दी से जल्दी उक्त वादगत भूमि को अप्रार्थी सं 1 को बहला फुसलाकर किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान कर देगे और प्रतिफल हम लेगे, क्योकि अप्रार्थी सं 1 शेरा कोई बात का भला बूरा सोचने समझने की स्थिति में नहीं है, अब हम तुम्हे कोई हक हिस्सा उक्त जमीन में नहीं देगे तथा तुमने हिस्से पांति का जो वादगत खेत काश्त कर रखा है उसको बेचकर जबरन तुम्हे बेदखल कर देगें इसलिये अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वादगत खेत प्रार्थीगण का पैतृक खेत है तथा प्रार्थीगण मौखिक बंटवारा के आधार पर वादगत खेत में काबिज है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला है व प्रार्थीगण अपने कबजा काश्त की भूमि को उपयोग उपभोग मे पिछले 30 वर्षो से लेते चले आ रहे है इसलिये सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रार्थीगण मिलकर प्रार्थीगण के उसके हिस्से पांति से महरुम रखने की मंशा से येनमकेन प्रकारेन प्रार्थीगण को उनके कब्जे काश्त से बेदखल करना चाहते हैं, वादगत खेत को किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय करना चाहते है, अप्रार्थीगण यदि प्रार्थीगण को उनके पैतृक हिस्से कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल व विक्रय करने में सफल हा गये तो प्रार्थीगण का अपूर्णनीय क्षति होगी। वादगत भूमि का आपसी मौखिक बंटवारा सन् 1990 में हो चुका है। वादीगण अपने हिस्से पांति की भूमि खसरा नं 1038 में अपनी भूमि पर काबिज है, इसलिये भाई बंटवारे के आधार पर कब्जे काश्त के मुताबिक खाता विभाजन से प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया, इसलिये वादीगण न्यायालय से [illegible] खेत का विभाजन करवाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:11:20 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो दावा के निस्तारण तक प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व उपयोग के खेत खसरा नम्बर 1038 तादादी 4.23 हैक्टेयरा रोही उदरासर की भूमि में दखल अन्दाजी पैदा नही करे, प्रार्थीगण को बेदखल नही करे, वादगत खेत में प्रवेश करने से नही रोके, वादगत खसरा भूमि को किसी प्रकार से विक्रय, हस्तान्तरण

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

... न ही ऐसा कोई कृत्य अथवा अपकृत्य करें, जिससे प्रार्थीगण के हित प्रतिकूल असर पड़ता है। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

... उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड ... तलब किया गया। बावजूद नोटिस तामिल अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 अनुपस्थित ... के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रार्थी अधिवक्ता ... अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता को इकतरफा सुना ... दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रार्थीगण के पैतृक खातेदारी व कब्जे काश्त उपयोग उपभोग को खेत खसरा न. 1038 तादादी 4.23 हैक्टेयर जिसके पुराने खसरा न.748 वाकेरोही उदरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। उक्त वादगत खेत की खातेदारी वर्तमान मे प्रार्थीगण की माता शेरा के नाम चली आ रही है, इससे पहले प्रार्थीगण के नाना अन्नारामजी के नाम थी, उनकी मृत्यु के बाद विरासतन प्रार्थीगण की माता शेरा के नाम दर्ज हुई, जो वर्तमान में चली आ रही है, शेरा की उम्र 80 वर्ष हो चुकी है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं 1 ता 3 आपमें पुत्र माता व भाई भाई है, जो एक ही माता पिता की सन्तान है व अन्नाराम के वारिसान है। वादगत खसरा भूमि पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं 2 ता 3 का संयुक्त कब्जा, काश्त व उपयोग उपभोग पूर्व से चला आ रहा है। बहस पर मनन किया गया। वादगत खेत प्रार्थीगण का पैतृक खेत है तथा प्रार्थीगण मौखिक बंटवारा के आधार पर वादगत खेत में काबिज है। प्रार्थीगण अपने कबजा काश्त की भूमि को उपयोग उपभोग मे पिछले 30 वर्षो से लेते चले आ रहे है इसलिये सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रार्थीगण मिलकर प्रार्थीगण के उसके हिस्से पांति से महरूम रखने की मंशा से येनकेन प्रकारेन प्रार्थीगण को उनके कब्जे काश्त से बेदखल करना चाहते है, वादगत खेत को किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय करना चाहते है, अप्रार्थीगण यदि प्रार्थीगण को उनके पैतृक हिस्से कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल व विक्रय करने में सफल हा गये तो प्रार्थीगण का अपूर्णनीय क्षति होगी। वादगत भूमि का आपसी मौखिक बंटवारा सन् 1990 में हो चुका है। वादीगण अपने हिस्से पांति की भूमि खसरा नं 1038 में अपनी भूमि पर काबिज है, इसलिये भाई बंटवारे के आधार पर कब्जे काश्त के मुताबिक खाता विभाजन से प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया, इसलिये वादीगण न्यायालय के जरिये वादगत खेत का विभाजन करवाने के अधिकारी है। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविध का संतुलन का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अंतरिम निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती है कि खेत खसरा नम्बर 1038 तादादी 4.23 हैक्टेयरा भूमि वाकेरोही उदरासर मे उभय पक्षकारान तादावा फैसला मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। आदेश सुनाया गया।

आदेश आज दिनांक 05.5.21 को मेरे ... द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायर रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर की जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:11:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़